न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 19/2015 (223 आरटीए) अखाराम वगै. बनाम तेजाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2015/00063)

1 अखाराम पुत्र किरताराम,
2 नरूराम पुत्र किरताराम
दोनों जातियान जाट निवासीगण चांदसभा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 तेजाराम पुत्र किरताराम,
2 हीराराम पुत्र किरता कथित पुत्र अमराराम,
3 हरचंद राम पुत्र दुर्गाराम,
4 रुघाराम पुत्र दुर्गाराम,
5 रणवीरराम पुत्र दुर्गाराम,
6 जमना पत्नी दुर्गाराम,
7 खेताराम पुत्र गिरधारीराम,
8 शम्भूराम पुत्र हीराराम
सभी जातियान जाट निवासी चांदसमा तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
9 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ दिनांक 27.03.2015 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 39/2014

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी।
2 रेस्पो. सं. 2 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
3 रेस्पो. सं. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
4 रेस्पो. सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के राजस्व वाद सं. 39/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2015 के विरुद्ध इस

13/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 39/2014 पेश किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। इसके पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हो गया और जबाब हेतु समय चाहा। दिनांक 27.03.2015 को पत्रावली जबाब हेतु मुकर्रर थी उस दिन वकील प्रतिवादी या कोई प्रतिवादी की ओर से उपस्थित नहीं हुआ और न ही इस बाबत कोई आदेश पारित किया गया बल्कि वाद अदम पैरवी में खारिज कर दिया। इसके पश्चात वकील वादी ने आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे लेने से इन्कार कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2015 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद अदम पैरवी में व अदम हाजरी में निरस्त करके डिक्री जारी करने में भारी भूल की है। पत्रावली वास्ते जबाब दावा हेतु मुकर्रर थी प्रकरण में उस दिन वकील वादी की कोई आवश्यकता नहीं थी बल्कि प्रतिवादीगण को जबाब प्रस्तुत करना था। प्रतिवादीगण की ओर से न तो अधिवक्ता उपस्थित हुए और न ही कोई प्रतिवादी उपस्थित हुआ इसके बावजूद भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया आर वकील वादी की अनुपस्थिति लगाकर वादीगण के वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया व डिक्री जारी कर दी जो सर्वथा विधि विरुद्ध है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2015 निरस्त किए जाने योग्य है। दिनांक 27.03.2015 वकील वादी न्यायालय में उपस्थित भी हुए तो उनको बताया कि वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में निरस्त किया जा चुका है। इसके तुरंत पश्चात अपीलांट/वादी के अधिवक्ता ने आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. का अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे लेने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 4 का प्रार्थना पत्र भी नहीं लिया जो कानूनी भूल है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.03.2015 को वाद को अदम हाजरी में निरस्त करने का मानस बना रखा

13/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

था। इसके अलावा वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में निरस्त करने के पश्चात वाद को डिक्री जारी कर दिया जो सर्वथा विधि विरुद्ध है अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलांट वादीगण का वाद रेस्टोर किए जाने का आदेश जारी करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 2 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री वादीगण/अपीलांट्स द्वारा नियत पेशी को उपस्थित नहीं होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के मेंडेटरी प्रावधानों के तहत खारिज किया है जो विधि अनुरूप है। दिनांक 27.03.2015 को न्यायालय में न तो वादी के अधिवक्ता उपस्थित थे न ही वादीगण उपस्थित थे ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष प्रथम बिंदु यह उठता है कि जब वादी ही उपस्थित नहीं है तो उसका वाद कैसे विचाराधीन रह सकता है। रेस्पोडेंट के अधवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने घोर विरोध करते हुए पुरजोर शब्दों में कहा कि अदम हाजरी व अदम पैरवी में दावा खारिज होने के बाद अपीलांट के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो उपस्थित हुए न कोई आदेश 9 नियम 4 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यदि कोई पेश किया होता तो उसकी प्रतिलिपि बताते। अपीलांट के अधिवक्ता ने झूठे तथ्यों के आधार पर अपील पेश कर दी है जो इस न्यायालय में मैंटेनेबल नहीं हैं। अतः अपील सव्यय खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस अपील में अदम हाजरी व अदम पैरवी के तहत खारिज वाद को प्रस्तुत अपील के जरिए रेस्टोर करने के लिए निवेदन किया है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह तथ्य भी अपनी अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी के तहत दावे को रेस्टोर करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। हालांकि इस कथन की पुष्ठि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से नहीं होती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में अदम हाजरी व अदम पैरवी में दावे को खारिज करने के पश्चात डिक्री जारी की है। अपीलांट अधिवक्ता ने बहस में यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे के निर्णय के बाद डिक्री जारी की है इसलिए धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत

13/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील के द्वारा ही डिक्री को निरस्त किया जा सकता है।
उपरोक्तानुसार प्रकरण की प्रकृति के मध्यनजर न्यायहित में अपीलांट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करना एवं दावे को 1000 रु. की कोस्ट पर रेस्टोर करने के आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2015 निरस्त किए जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट/वादीगण 1000 रु. की राशि राजकोष में जमा करवा कर रसीद अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने के उपरांत दावे को रेस्टोर करने के आदेश दिए जाते हैं।

13/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर